

पत्रांक-13/वि० 03-58/2016...../

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा,  
निदेशक, जन शिक्षा,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
(मा०शि०/आर०एम०एस०ए० एवं साक्षरता)  
गया।

पटना, दिनांक ...../

विषय :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर गया द्वारा टोला सेवक एवं जालीनी परवर्ज को शरण  
कार्ड PHH/AAY का सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्ति किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-303 दिनांक 18.07.2015 के आलोक में अंकित करना

है कि :-

1. टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी द्वारा अपना कार्य करते हुए अलग समय में अन्य कार्य कर सकते हैं।
2. "बुनियादी साक्षरता महापरीक्षा-2016" दिनांक 21 अगस्त, 2016 को आयोजित होगी। जिसमें टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी एवं प्रेरक की अहम भूमिका है।

अतः अपने स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर गया को अवगत कराया जाये कि उनको निर्धारित मूल काम से अलग कर अन्य कार्य नहीं दिया जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोदानन्द झा)

निदेशक, जन शिक्षा,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ...../

पटना, दिनांक ...../2016

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

निदेशक, जन शिक्षा,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक .....1674/

पटना, दिनांक .....30.7.16/2016

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, जन शिक्षा,  
बिहार, पटना।